**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**बंटवारा वाद सं0–41/2022**

अजय गिरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिक्रम गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **06.06.2026** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 25.11.2025 को वादी सं0–05 स्व0 अनिरूद्ध गिरी का नाम इस मुकदमें से विलोपित करने वास्ते दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख आज वादीगण के आवेदन दिनांक 25.11.2025 पर आदेश हेतु नियत है।<br>वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–05 अनिरूद्ध गिरी दिनांक 22.12.2023 को स्वर्गवासी हो गए। वे अपने पीछे अपने पाँच लड़को वो एक लड़की को छोड़कर स्वर्गवासी हुए। उनकी पत्नी उनके जिंदगी में ही बहुत पहले स्वर्गवासी हो गई वो उनके सभी वारिशान इस मुकदमें में पक्षकार है जो वादी सं0–01 ता 04 वो प्रतिवादी सं0–12 वो एकमात्र लड़की चिंता देवी जो प्रतिवादी सं0–30 हैं इस मुकदमें में पक्षकार है। मृत वादी अनिरूद्ध गिरी का नाम इस मुकदमा से विलोपित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी सं0–05 स्व0 अनिरूद्ध गिरी का नाम इस मुकदमें से विलोपित करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा किया जाए।<br>प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया।<br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 25.11.2025 को दाखिल किया तथा निवेदन किया गया है कि वादी सं0–05 अनिरूद्ध गिरी दिनांक 22.12.2023 को स्वर्गवासी हो गए है एवं वो उनके सभी वारिशान इस मुकदमें में पक्षकार है जो वादी सं0–01 ता 04 वो | |

**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**बंटवारा वाद सं0–41/2022**

अजय गिरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिक्रम गिरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 06.06.2026** | प्रतिवादी सं0–12 वो एकमात्र लड़की चिंता देवी जो प्रतिवादी सं0–30 हैं। ऐसी स्थिति में वादी सं0–05 स्व0 अनिरूद्ध गिरी का नाम इस मुकदमें से विलोपित करने की कृपा किया जाए। वादीगण का आवेदन सामान्य प्रकृति का है एवं प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 25.11.2025 को स्वीकार किया जाता है और वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र से वादी सं0–05 स्व0 अनिरूद्ध गिरी का नाम विलोपित करें।<br>आगामी दिनांक 14.07.2026 वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है।<br><br>लेखापित<br><br>अवर न्यायाधीश–1<br>नरकटियागंज | |